समग्र निधि योजना (सीएफएस)

यह योजना 1992 में अधिसूचित की गई थी जिसका उद्देश्य एससी/एसटीज श्रेणी के एलपीजी वितरको की सहायता करना था। इस योजना के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा योजना का लाभ लेने वाले वितरकों को भूमि और बुनियादी ढ़ांचा उपलब्ध कराया गया। ओएमसीज द्वारा किए गए निवेश की वसूली विज्ञप्ति शुल्क के भुगतान के माध्यम से की गई जो कि प्रति रिफिल के आधार पर परिभाषित है। इस योजना में अनेक संशोधन किए गए तथा अंत में 2012 में इसके स्थान पर बैंक मध्यस्थता वित्तीय सहायता आ गई जिसमें ओएमसीज को ऐसे वितरकों के लिए बैंक के साथ करार करके ऋण प्रावधानों की सुविधा उपलब्ध कराना था।

सीएफएस के तहत, ओएमसीज वितरकों को कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराती हैं। कार्यशील पूंजी तथा उस पर ब्याज की वसूली डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू होने के बाद 13 वें महीनें से 100 किस्तों में की जाती है। ओएमसीज द्वारा बुनियादी ढ़ांचे पर किए गए निवेश की वूसली के विरूद्ध एलपीजी वितरकों से अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए।